संख्या ।302/चौवालिस-2/1984

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र मोहन,
सचिव,
सार्वजनिक उद्यम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/नोयडा के अध्यक्ष/
प्रबन्ध निदेशक ।

लखनऊः दिनांक 28 नवम्बर, 1984

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में सरकारी सेवकों की वाह्य सेवा पर नियुक्ति ।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

मुझे आपका ध्यान वित्त विभाग (सामान्य) अनुभाग-। के कार्यालय ज्ञाप संख्या : जी-।-638/दस-534(46)-76, दिनांक ।7 मई, ।979 की ओर आकर्षित करते हुए निम्न प्रकार अनुरोध करने का निदेश हुआ है :-

2- शासनादेश संख्या : जी-।-3033/दस-534(46)-76 दिनांक ।4 दिसम्बर, ।982 के प्रस्तर-5 में यह भी आदेश दिये गये हैं कि यदि कोई सरकारी सेवक बिना शासन की स्वीकृति के 5 वर्ष की अवधि के बाद भी वाह्य सेवा पर बना रहता है तो 5 वर्ष की अवधि के बाद की तिथि से प्रतिनियुक्ति भत्ता या अतिरिक्त लाभ/सुविधा जो सम्बन्धित निगम/उपक्रम आदि द्वारा दी जा रही है, देय नहीं होगी और उसे केवल वहीं मूल वेतन अनुमन्य होगा जो वह अपने पैतृक विभाग में पाता ।

अतः आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रतिनियुक्ति के ऐसे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति तथा अन्य भत्ते का भुगतान शासन के आदेश के अनुरूप बन्द करना भी सुनिश्चित करें । यदि किसी प्रकरण में प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान उपरोक्त दिनांक ।4-।2-82 के शासनादेश में निहित निदेशों के विरूद्ध किया जायेगा तो इसके लिए उपक्रम/निगम के मुख्य कार्यकारी उत्तरदायी होंगे ।

3- वित्त विभाग के उपर्युक्त आदेश के प्रस्तर-4 में यह स्पष्ट आदेश हैं कि लिपिक तथा चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों को सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए । यदि किसी विशिष्ट मामलें में कतिपय कारणों से उपर्युक्त श्रेणी के किसी कर्मचारी को वाह्य सेवा में भेजना जनहित में आवश्यक हो तो ऐसी दशा में ऐसे कर्मचारी को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा और केवल उसे अपने पैतृक विभाग में प्राप्त वेतनमान तथा उसमें प्राप्त भत्ता ही अनुमन्य होगा ।

राज्य के सार्वजनिक उपक्रम गत दशक से कार्यरत हैं । इतने अन्तराल में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर राज्य कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर बने रहने या नियुक्ति किये जाने का औचित्य नहीं रह गया है ।

अतएव सम्यक् रूप से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के जिन कर्मचारियों की उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हुई है, उनको उनके पैतृक विभाग को तुरन्त अवमुक्त करते हुए योगदान हेतु निर्देशित किया जाय ।

नये निगमों/उपक्रमों के संबंध में विशेष परिस्थितियों में आशुलिपिकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में शासन की अनुमति आवश्यक होगी।

भवदीय,
सुरेन्द्र मोहन
सचिव।

संख्या : 1302(1)/चौवालिस-2/1984, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) शासन के संबंधित सचिव एवं विशेष सचिव।
(2) सचिवालय के संबंधित अनुभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन।

आज्ञा से,
सत्याचरण श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।